

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अस्थायी निषेध

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

उपखण्ड अस्थायी निषेध

क्र.नं. - 23/17

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

20.06.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी मय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थी मय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी मय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

